प्रेस नोट दिनांक 18-07-2022

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 15 दिवस के अन्दर थाने पर खड़े माल मुकदमाती/लावारिस/एमवी एक्ट के कुल 113 वाहनों की नीलामी कराकर निस्तारण कराया गया, जिसके फलस्वरुप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 11,000/-रुपये के नगद ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गईः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल मुकदमाती/लावारिस एवं एमवी एक्ट के वाहन, जो काफी समय से थाना चिलकाना प्रागंण में खड़े हुये थे, जिनके कारण काफी भीड़भाड एवं गंदगी व्याप्त थी, के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी, सहारनपुर महोदय के आदेशो के अनुपालन में सुश्री किंशुक श्रीवास्तव, एस0डी0एम0 सदर, क्षेत्राधिकारी सदर एवं थानाध्यक्ष चिलकाना, सहारनपुर की उपस्थिति में माल मुकदमाती के चार पहिया वाहन-10, माल मुकदमाती के दो पहिया वाहन-46, लावारिस चार पहिया-02, लावारिस दो पहिया-11, एमवी एक्ट के दो पहिया वाहन-44 कुल 113 वाहनों की नीलामी की गई।

नीलामी के दौरान जनपद/अन्य जनपदों से आयें कुल 195 रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें सभी के द्वारा बढ चढकर बोली लगायी गई। नीलामी में 113 वाहनों की कुल 5,40,600/-रुपये की बोली बोलकर रजिस्टर्ड ठेकेदारों में नीलामी अपने पक्ष में की गई।

उक्त नीलामी एवं वाहनों का निस्तारण कराने में श्री सतेन्द्र राय, थानाध्यक्ष चिलकाना, व0उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार, है0मौ0 595 जोनी कुमार व आरक्षी 479 मदनजीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। **जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त अधिकारी/कर्म0गण को 11,000/-रुपये के नगद ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई हैं।**

प्रेस नोट दिनांक-18.07.2022

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, धोखाधड़ी/जालसाजी में वांछित चल रहे(अवैध खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला का भाई) 25,000/- रुपये के ईनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेलः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरूध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक एच0एन0 सिंह थाना मिर्जापुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.07.2022 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहा द्वारा 25,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त महमूद अली पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर, जिसके विरुद्ध थाना मिर्जापुर व स्थानीय जनपद में धोखाधड़ी/जालसाजी के कई मुकदमें पंजीकृत है काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बादस्तूर फरार चल रहा था, दौराने तलाश व पतारसी-सुरागरसी करते हुए सूचना के आधार पर थाना नेरुल पुलिस के सहयोग से फ्लैट नं0-601 साई अपार्टमेन्ट नेरुल नवी मुम्बई से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-महमूद अली पुत्र स्व0 अब्दुल वहीद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0-127/22 धारा 420/467/468/471/342/386/504/506 भादवि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2.मु0अ0स0 110/22 धारा 420/467/468/471/386/504/506/120 बी भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3.मु0अ0स0 102/22 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4.मु0अ0स0 156/22 धारा 147,148,386,323,420,506,392 भादवि व 3(2)(5क) एससी/एसटी एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5.मु0अ0स0 246/17 धारा 147,148,323,354,386,452 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
6.मु0अ0स0 122/22 धारा 376डी,323,354क,354ख,342 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना महिला थाना जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1-उ0नि0 दीपक कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2-उ0नि0 अजय गौड़ अभिसूचना विंग जनपद सहारनपुर।
3-का0 250 अखिलेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4-का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5-का0 942 सुमित कुमार अभिसूचना विंग जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 18.07.2022

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस ने (आपरेशन मुस्कान) के तहत नाबालिक बच्चे की सकुशल किया बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 17.07.2022 को समय करीब 14.55 बजे श्री श्रवण कुमार पुत्र चतर सिह निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने हाजिर थाना आकर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 12.07.22 को समय करीब 13.00 बजे से उसका लडका अमरजीत (उम्र करीब 14 वर्ष) बिना बताये कही चला गया है जिसको काफी तलाश करने पर कुछ भी पता नही चल पा रहा है। सूचना उक्त से उच्चाधिकारीगणो को अवगत कराते हुए थाना हाजा पर मु0अ0स0 0181/2022 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए (आपरेशन मुस्कान) के तहत नाबालिक बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु थाना नानौता पुलिस को निर्देशित किया गया।**

उक्त क्रम 17.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के कुशल निर्देशन मे थानाध्यक्ष महोदय द्वारा थानास्तर से टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बच्चे **अमरजीत पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को मे यमुनानगर हरियाणा से सकुशल बरामद किया गया। बच्चे से पूछने पर बताया कि अपने बुआ के लडके के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए घर वालो को बिना बताये चला गया था। बरामदगी के सम्बन्ध मे उच्चाधिकारीगणो को अवगत कराया गया। गुमशुदा बच्चे को उसके परिजनो को बुलाकर सकुशल सुपुर्द किया गया।

बरामदशुदा बच्चे का नाम पताः-

अमरजीत पुत्र श्रवण कुमार निवासी ग्राम भारी दीनदारपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामद करने वाली टीमः-

1. श्री चन्द्रसैन सैनी थानाध्यक्ष थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ श्री 0नि0मुकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. कासुमित कुमार 1258 0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. काराहुल शर्मा 241 0 थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 18/07/22 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(थाना गंगोह पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिहं थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 562/2021 धारा 354ख/323/506 भादवि व धारा 9JM/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे **अभियुक्त रोबिन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सागांठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को उसके घर ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर से दिनांक 17/07/22 को समय 17.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। वांछित अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोबिन पुत्र रगवीर निवासी ग्राम सागांठेडा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री विनीत कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र अधाना, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 18.07. थाना बेहट जनपद सहारनपुर 2022

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित / वारण्टी/अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट के कुशल नेतृत्व मे थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान दिनाँक17 .07. को 2022असलमपुर बरथा तिराहे से समय 19. बजे अभियुक्त 30**पदम सिंह पुत्र रमेश चन्द निग्राम चक खिजरपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर 0** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मोटर साईकिल द्वारा लाते समय बोत 22ल देशी शराब माल्टा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर थाना (हरियाणा राज्य की) 350 0सं0अ0हाजा पर मु/22 धारा 60/63/साईकिल बिना नम्बर सुपर 0आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। मो 72 के समक्ष पेश किया जा रहा 0न्या 0स्पलैण्डर को सीज किया गया। अभियुक्त को मा है।

अभियुक्त का नाम व पताः–

1. पदम सिंह पुत्र रमेश चन्द नि0 ग्राम चक खिजरपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर

बरामदगी

1. देशी शराब माल्टा मार्का (हरियाणा राज्य की) बोतल 22

आपराधिक इतिहास

1 मु0अ0सं0 333/22 धारा 63 आबकारी अधि0-

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट जिला सहारनपुर
2- उ श्री नरेन्द्र कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर 0नि0
3- का सोनू तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर 461 0